

कार्यालय अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com Phone No. 07162-297009

क्रमांक/स्था0/विज्ञप्त /2022/4137

छिंदवाड़ा दिनांक - 31/05/22

// विज्ञप्ति //

संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06-05-2017/12-05-2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये है। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र./1/55/2018 भोपाल दिनांक 07-04-2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है, नवीन सीधी भर्ती के प्रावधान किये गये है, जिनके तहत सीधी भर्ती की जाना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19-08-2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए पी.एम.आर. एवं इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग हेतु प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन/एन.एम.सी. द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हो, इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, एवं समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रुपये 1000/- (शब्दों में रुपये एक हजार मात्र/-) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश से प्राप्त अनुमोदित सूची अनुसार रिक्त चिकित्सक शिक्षकों पदों की पूर्ति किया जाना है, नियुक्ति चिकित्सकीय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी, सीधी भर्ती के पद प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, के निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक ...20.06.2022..... शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, तदुपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेगे।

प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	पी.एम.आर.	1	1	—	—	—	—
2.	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	1	—	—	—	—
कुल योग		2	2	—	—	—	—

पेज नं. 01

सह-प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			सह-प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	पी.एम.आर.	1	1	—	—	—	—
2.	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	1	—	—	—	—
कुल योग		2	2	—	—	—	—

सहायक प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			सहायक प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	पी.एम.आर.	0	—	—	—	—	—
2	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	1	—	—	—	—
कुल योग		1	1	—	—	—	—

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.govtmedicalcollegechhindwara.com एवं www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

1. आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिष्ठाता कार्यालय, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.) पिन कोड-480001 में आवेदन पत्र जमा कराये जा सकते हैं, एवं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक के माध्यम से भेजा जाये।
2. आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावे, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमामन्य रहेगा।
3. सभी शार्ट लिस्टेड आवेदकों को फोन द्वारा/ई-मेल द्वारा बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की समय सारणी कॉलेज वेबसाइट पर प्रदर्शित कि जायेगी। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtmedicalcollegechhindwara.com पर अपलोड की जावेगी।
4. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

5. केवल शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। यदि पद रिक्त हुए तो बाद में अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा।
6. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसका अक्षरतः पालन किया जावेगा।
7. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी उम्मीदवारों के लिये बाध्य होगा।

8. वेतनमान	—	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	—	1,44,200—2,18,200 + डी0ए0
सह प्राध्यापक	—	1,31,400—2,17,100 + डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	—	68,900—1,39,900 + डी0ए0

टीप —समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

9. आयु सीमा —		न्यूनतम
प्राध्यापक	—	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	—	25 वर्ष

टीप — आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जुलाई की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

10. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
 - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
 - उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पद हेतु आरक्षित है।
 - आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

11. अर्हताये :-

- a) नवीन एन.एम.सी. के 14.02.2022 के भारत का राजपत्र के मापदण्डानुसार —

तालिका 1 ग :- ऐसी ब्रॉड स्पेशियलिटी(एमडी/एमएस) में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति जिसमें तत्कालीन एमसीआई द्वारा ब्रॉड स्पेशियलिटी का पाठ्यक्रम स्थापित किया गया है और दस साल के कम समय के लिए कार्यशील है और साथ ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित नए ब्रॉड स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के लिए भी मानदंड—



पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी अथवा संक्रमण काल के दौरान तालिका 4.क में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी के विषयों में एमडी/एमएस/डीएनबी	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में तालिका 4क में उल्लिखित विषयों में तीन साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। 2. उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केंद्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। 3. कम से कम चार शोध (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए { केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जावेगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एम्बेस स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स(डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं}। 4. चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट (संस्थान) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी अथवा संक्रमण काल के दौरान तालिका 4.क. में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एमडी/एमएस/डीएनबी	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में तालिका 4क में उल्लिखित विषयों में चार साल के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में। 2. उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केंद्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में चार साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। 3. कम से कम दो शोध होने चाहिए { केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जावेगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इंडेक्स एम्बेस स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स(डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। 4. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट (संस्थान) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। 5. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।

सहायक प्रोसेसर	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी अथवा संक्रमण काल के दौरान तालिका 4.क्र में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एमडी/एमएस/डीएनबी	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केन्द्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
----------------	--	--

तालिका 4क: ब्रॉड मेडिकल स्पेशियलिटी के साथ शैक्षणिक योग्यता

स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	मर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
आपातकालीन चिकित्सा	एम.डी./डी.एन.बी. (आपातकालीन चिकित्सा)	आपातकालीन चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी.। 1. सामान्य चिकित्सा 2. एनेस्थिसिया 3. श्वसन चिकित्सा 4. सामान्य सर्जरी 5. हड्डी रोग अधिसूचना की तारीख 21 जुलाई 2009, इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास	एम.डी./डी.एन.बी. (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास)	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी.। 1. मेडिसीन के साथ पीएमआर में डिप्लोमा। 2. सामान्य सर्जरी 3. हड्डी रोग इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट।

12. निरर्हतायेँ-

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुश्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।
5. विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः

विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।


दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।

6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।
7. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
9. स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथाऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।
10. व्यवसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय-समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होंगे।
13. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।
14. मध्य प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
15. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
16. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी

होगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

17. मध्यप्रदेश शासन के छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
18. आवेदन करने की अंतिम तिथि :- अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड- 480001 में आवेदन पत्र दिनांक 20/06/2022 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
20. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "www.govtmedicalcollegechhindwara.com" एवं "www.medicaleducation.mp.gov.in" पर उपलब्ध है।
21. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
22. विज्ञापित पदों का विवरण पत्रक संलग्न जिसमें आवेदन आमंत्रित है।
23. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)